राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 184 नवम्बर 2014 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

पिछले कुछ समय से "ऑनर किलिंग" की घटनाओं में वास्तव में वृद्धि हुई है। नवीनतम घटना की पीड़िता दिल्ली विश्वविद्यालय की 22 वर्ष की विद्यार्थी भावना यादव है। उसके मां-बाप और चाचा ने उसे यातना दी और फिर गला घोंटकर उसे मार डाला क्योंकि उसने एक भिन्न जाति और क्षेत्र के लड़के से शादी करने की हिम्मत दिखाई थी। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पारिवारिक सम्मान के नाम पर युवा दंपत्तियों पर अत्याचार करने के मामलों की रिपोर्ट लगातार सारे देश से आ रही है - उत्तर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में राजस्थान से पूर्व में पश्चिम बंगाल तक ऐसी खबरें आ रही हैं।

ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से सामान्य नागरिक अपने निकटतम प्रिय को मार देता है। इसे भारत की विशिष्ट सामाजिक परिवेश के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जहां एक ही 'गोत्र' अथवा अपनी जाति के बाहर विवाह करने की इजाजत समाज नहीं देता है, जिससे एक आपस में गुंथे हुए समाज के सदस्यों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसे "ऑनर किलिंग" कहा जाता है।

यदि यह केवल जाति महत्व देने वाले परिवारों का काम नहीं है जो कानून से बिना डरे सम्मान के लिए मार देते हैं तो हमारे यहां खाप पंचायतें है जो उन लोगों के विरुद्ध निर्णय देती हैं जो उपलब्ध जरूरी साधनों का उपयोग करते हुए समुदाय के स्थापित रीति-रिवाजों के विरुद्ध कार्य करते हैं और गांव के बाकी लोग खाप पंचायतों द्वारा की गई निंदात्मक टिप्पणी का समर्थन करते हैं।

मुजफ्फरनगर में हुई हाल कीएक बैठक में 18 खाप नेताओं ने यह घोषित किया था कि जाट

चर्चा में **ऑनर किलिंग को कोई 'सम्मान' नहीं**

समुदाय में प्रेम विवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जो इस आदेश का उल्लंघन करते हैं, उन्हें मार दिया जाएगा और उनके शरीर को फेंक दिया जाएगा। यह कहना भी पर्याप्त नहीं था; उन्होंने अपने समुदाय के सदस्यों से कहा कि वे अपनी लड़कियों को मोबाइल फोन, फेसबुक, व्हाट्स ऐप का उपयोग करने अथवा जीन्स पहनने से मना करें।

व्यापक सामाजिक अनुमोदन के कारण 'सम्मान' के नाम पर मार देना अभी भी उस तरह का विरोध नहीं पैदा करता है जो बेगुनाहों की हत्या करने से होता है। ये मुख्यतः राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने समाज को नीचा दिखाया है, वे खुलकर सामने नहीं आए हैं और मध्ययुगीन न्याय देने वाले खाप पंचायतों के विरुद्ध जोरदार ढंग से नहीं बोले हैं। यदि राजनीतिक लोक हिचकिचाते हैं तो पुलिस भी कानून को लागू करने में कठोर नहीं होगी।

तथापि जैसे भारत का प्रजातंत्र अपनी जड़ें जमा रहा है, शिक्षित युवा आजीविका के लिए अपने मां-बाप पर अब निर्भर नहीं रह गए हैं। वे अपनी पसंद को अधिकार के कट्टर रूप अथवा विरोध रहित आज्ञानुसारी संस्कृति के आगे झुकाने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपना जीवन साथी चुनने के लिए अपने अधिकारों पर जोर देना आरम्भ कर दिया है। इस प्रकार ऐसी हत्याओं के लिए विशेष कानून बनाने की अति आवश्यकता है जिसे इस मध्ययुगीन अभिशाप को खत्म करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए। जब तक कानून का भय कानून तोड़ने वालों के मन में नहीं आता है, भावना की मृत्यु जैसी घटनाएं हमें स्थायी रूप से शर्मिंदा करने के लिए होती रहेंगी।

महत्वपूर्ण निर्णय

- नई दिल्ली की सरकार ने आदेश दिया है कि किसी प्लेसमेंट एजेंसी से किराए पर ली गई पूर्णकालिक घरेलू सहायक को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। आदेश यह भी सुनिश्चित करता है कि प्लेसमेंट एजेंसियां अल्पवयस्कों को किराए पर न दें। किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।
- दिल्ली कोर्ट ने कहा कि चाहे कोई बलात्कार की पीड़िता मुकदमें के दौरान अपना बयान बदल देती है तो भी कोर्ट आरोपी को माफ करने के लिए मजबूर नहीं होगा। हाल के मामले में जहां एक महिला अपनी शिकायत से मुकर गई, कोर्ट ने उस व्यक्ति को बलात्कार, ठगने और दूसरा विवाह करने का दोषी करार दिया।
- मध्य प्रदेश सरकार क्रमिक रूप से राज्य पुलिस में महिलाओं का आरक्षण वर्तमान 10% से 30% तक करेगी जिससे अधिक संख्या में महिलाएं पुलिस बल में आएं।
- केन्द्रीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया है जिससे यौन उत्पीड़न की परिभाषा को विस्तृत किया जा सके और महिलाओं को काम करने के लिए कार्यस्थल को अधिक अनुकूल बनाया जा सके। महिलाओं के साथ अपमानित व्यवहार करना जिससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और पक्षपातपूर्ण अथवा अहितकर बर्ताव का आश्वासन देना संशोधित सेवा नियमों के अंतर्गत अब यौन उत्पीड़न माना जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके काम में हस्तक्षेप करना अथवा महिला कर्मचारियों के लिए प्रतिकूल कार्य स्थिति पैदा करना भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा।

एकल महिलाओं के लिए राष्ट्रीय मंच

एकल महिलाओं के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच ने नई दिल्ली में एकल महिलाओं के अधिकारों पर एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य परित्यक्त, छोड़ी गई, वे महिलाएं जिनका कभी विवाह नहीं हुआ, लापता पतियों वाली महिलाओं और पहचान के लिए संघर्ष कर रही परिवारों की मुखिया वाली अविवाहित महिलाओं की श्रेणियों में आने वाली 40 मिलीयन एकल महिलाओं की दशा की ओर राष्ट्रीय ध्यान दिलाना है, क्योंकि उन्हें सरकार की स्कीमों और प्रोग्रामों में शामिल नहीं किया गया है। सभी आयु समूहों और उप-श्रेणियों की एकल महिला नेताओं ने उनके लिए सरकार की स्कीमों और प्रोग्रामों तक पहुंच और उपयोग करने में उन्हें होने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों पर आवाज उठाई है। उन्होंने विधवाओं, परित्यक्ताओं, तलाकशुदा महिलाओं के लिए 2000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन की मांग की और कानून में परिवर्तन करने की मांग की जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एकल महिलाओं के पास जमीन और सम्पत्ति के अधिकार हों और उन्हें सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं मिल सकें।

अध्यक्षा एकल महिला मंच को संबोधित करती हुई - (नीचे) एक महिलाएं एक नाटक की भूमिका में जिसमें वे अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की मांग कर रही हैं।

इस अवसर पर बोलती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने मंच द्वारा उठाए गए समर्थन मुद्दों के संबंध में जैसे एकल महिलाओं पर होने वाली हिंसा जैसे जादूगरनी बताना, संपत्ति और जमीन की खातिर उन्हें घर से निकाल देना, को रोकने के लिए आवश्यक तंत्रों के संबंध में आवश्यक और व्यवहार्य समर्थन दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड के जनजाति क्षेत्रों में महिलाओं को जादूगरनी बताने और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देवदासी प्रथा में महिलाओं के जाने के बारे में आयोग द्वारा उठाए गए पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने महसूस किया कि एकल महिलाओं के मुद्दों का समाधान करते समय हमें समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उनके पूर्ण सशक्तिकरण के लिए टिकाऊ जीविका के उपाय के साथ कौशल निर्माण भी साथ में होना चाहिए। इस सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन से तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम ने भाग लिया।

साहस की मिसाल

असम के गांव में निर्धनता से संघर्ष करने के बाद 16 वर्ष की रिंकी रोटा काम की तलाश में दिल्ली आई। कुछ समय तक अपने नियोक्ताओं द्वारा उसका शोषण करने और यंत्रणा देने के बाद उसने किसी तरह अपनी विपत्ति पड़ोस की नौकरानियों को बताई जिन्होंने निर्मला निकेतन को-ऑपरेटिव को उसकी दशा बताई। निर्मला निकेतन के कार्यकर्ताओं ने उसे वहां से छुड़ाया। अब, 24 वर्षीय रिंकी ने 6 महीने का गहन प्रशिक्षण लेकर गाड़ी का ड्राईवर बनने के लिए सभी महिला रुकावटों को दूर किया है और वह 7000 रुपया महीना कमाती हैं। वह इस समय निर्मला निकेतन के स्टॉफ की गाड़ी चलाती हैं जहां वह एक बार आश्रय मांगने के लिए आई थी। आज वह एक महत्वपूर्ण टीम सदस्य है और अपनी आय से अपने परिवार के लिए एक घर बनाने का सपना देख रही है।

लीक से हटकर कार्य करना

संगीता अवहाले ने अपने घर में शौचालय बनाने के लिए अपना 'मंगलसूत्र' बेच दिया था। 12 वर्षों से संगीता अपने पति को अपने घर में शौचालय का निर्माण कराने के लिए कह रही थी और उसका प्रण तब और भी दृढ़ हो गया जब उसकी किशोरी बेटी को खुले में शौच करने में वही समस्या का सामना करना पड़ा। उसने यह कार्य कराने के लिए अपने सोने के सभी आभूषण बेचने का निर्णय किया। उसके परिवार के किसी सदस्य ने उसके कार्य का समर्थन नहीं किया परन्तु उसने 'शौचालय तो सोना' को तरजीह दी।

उसके इस कार्य की प्रशंसा के तौर पर महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री पंकज मुंडे ने संगीता का अभिनंदन किया और उसे सोने का एक नेकलैस दिया।

घरेलू कामगारों की सार्वजनिक सुनवाई

नेशनल प्लेटफार्म ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स ने नई दिल्ली में घरेलू कामगारों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया। घरेलू महिला कामगारों - पूर्णकालिक और अंशकालिक, व्यक्तियों और प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा श्रम के लिए तस्करी से लाई गई, महिलाओं सहित, ने उनसे अशिष्ट और रूखा बर्ताव करने जैसे मजूरी रोकना, काम से मनमाने तौर पर बर्खास्त कर देना, ओवरटाईम मजूरी दिए बिना अधिक काम लेना, चोरी के झूठे आरोप लगाना और यहां तक बलात्कार और हत्या के मामलों को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम की अध्यक्षता में एक प्रतिष्ठित ज्यूरी के समक्ष उठाया।

राष्ट्रीय मंच ने घरेलू कामगारों के लिए एक व्यापक कानून बनाने और आईएलओ कनवेंशन 189, घरेलू कामगारों के लिए बेहतर काम, जिसे जून, 2011 में पारित किया गया था, का अनुसमर्थन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून को रोजगार और कार्य स्थिति को विनियमित करना चाहिए, मजूरी और कार्य घंटे निर्धारित करना चाहिए और विवादों का समाधान करने और रोजगार को संरक्षण देने के लिए तंत्र बनाना चाहिए। सामाजिक संरक्षण उपबंधों में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बाल देखभाल सुविधाएं, आवास, कौशल प्रशिक्षण और पेंशन को शामिल करना चाहिए।

एडवोकेट अमिय शुक्ला ने ज्यूरी के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जिसमें घरेलू कामगारों के लिए एक विस्तृत कानून बनाने की सर्वसम्मत सिफारिश की गई थी।

अध्यक्षा घरेलू कामगारों को संबोधित करती हुई

भारत की लड़कियों का संसार

सेव दि चिल्ड्रन ने हाल में नई दिल्ली में अपनी फ्लैगशिप रिपोर्ट "विंग्स 2014 - भारत की लड़कियों का संसार" का विमोचन किया। श्रोताओं में 55 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, सिविल सोसायटी के कार्यकर्ता, सरकार के पदाधिकारी, दाता और पार्टनर थे। रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं जिसमें लड़कियों की दशा सुधारने के लिए बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की गई है। रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि स्वास्थ्य देखभाल, पोषाहार, पानी, सफाई सुविधाओं, शिक्षा और शोषण से संरक्षण तक पहुंच के मामले में लड़कियों ने कितना हासिल किया है। इसमें कहा गया है कि बालिका के लिए अस्तित्व बचाने का संघर्ष गर्भ से शुरू हो जाता है यहां तक कि उसके पैदा होने के बाद भी सब ओर से उसकी उपेक्षा उसके अस्तित्व को अनिश्चित बना देती है। 2011 की जनगणना बताती है कि कुल मिलाकर 38 मिलीयन महिलाएं लापता हैं।

डॉ. नजमा हेपतुल्ला और अन्य के साथ अध्यक्षा (बाएं से तीसरे) रिपोर्ट का विमोचन करती हुई

रिपोर्ट का विमोचन करती हुई अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉ. नजमा हेपतुल्ला ने जोर देकर कहा कि सरकार भारत की लड़कियों की दशा सुधारने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रही है। "रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़कियों की बढ़ रही आकांक्षाएं पूर्ण नागरिक बनने की है और उनकी इच्छा पत्नी और माता के परिभाषित भूमिका से आगे अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण करने की है - और हमारी सरकार इन आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है", उन्होंने आगे कहा।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, ललिता कुमारमंगलम ने, जिन्होंने डॉ. हेपतुल्ला के साथ रिपोर्ट का विमोचन किया, इस बात को दोहराया कि सरकार, सिविल सोसायटी मीडिया और संबंधित पक्षों को भारत के हर भाग की लड़कियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए और महिलाओं से संबंधित कानूनों का उचित क्रियान्वयन प्रवर्तन एजेंसियों से कराने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सदस्यों के दौरे

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या हेमलता खेरिया "ग्रामीण महिला नेतृत्व और दलित समाज की महिलाओं में राजनीतिक चेतना का स्वरूप" पर गैर-सरकारी संगठन द्वारा बिहार के मोतीहारी में आयोजित दो-दिवसीय कस्तूरबा गांधी सबला सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी जिसमें 500-600 महिलाएं उपस्थित हुई। ● बाद में, सदस्या ने कोईला बेलवा, कल्याणपुर, मोतीहार में मुसाहर समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की। उनसे बातचीत के दौरान सदस्या ने अस्पृश्यता, स्वास्थ्य, पानी और सफाई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने महिलाओं को आश्वासन दिया कि यदि वे आयोग से अनुरोध करेंगी तो यह उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी सहायता करेगा। ● सुश्री हेमलता खेरिया, गांधी संग्रहालय, मोतीहारी में गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी मिली। ● वह मोतीहारी सेंट्रल जेल गई और महिला कैदियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से मिली। उन्होंने देखा कि 91 महिला कैदियों के लिए जगह की कमी है और महिलाओं को परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कानूनी सहायता और चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।

सदस्या हेमलता खेरिया मुसाहर दलित महिलाओं को संबोधित करती हुई

सदस्या शमीना शफीक (बीच में) महिलाओं के लिए भूमि अधिकार सम्मेलन में

❖ सदस्या शमीना शफीक इसाबेला थोबर्न कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग से लखनऊ में "महिलाओं के लिए भूमि अधिकार प्राप्त करना और महिला-पुरुष समानता - मुद्दे और चुनौतियों" पर एक सेमिनार में मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर बोलती हुई उन्होंने कहा कि सरकार को नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करते समय महिला दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने दुःख जताया कि यद्यपि महिलाओं को दावा करने के लिए अक्सर कोर्ट की सहायता लेनी पड़ती है। श्रीमती शफीक ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है जिससे उन्हें भविष्य में सशक्त होने में मदद मिलेगी। ● सदस्या ब्रह्मकुमारियों द्वारा अपने गुड़गांव केन्द्र में आयोजित "असाधारण रूपान्तर के लिए ईश्वर की शक्ति और महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान को पूर्ववत् लाना" पर कार्यक्रम में उपस्थित हुई। प्रतिष्ठित अतिथियों के अलावा इस कार्यक्रम में बहन शिवानी, बहन आशा और सुभाष घई जी उपस्थित हुए। ● श्रीमती शफीक ने दूरदर्शन द्वारा आयोजित तलाक पर टॉक शो में भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हस्तक्षेप

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूलों को अपने परिसरों में विद्यार्थियों के विरुद्ध यौन हिंसा के लिए मुआवजा देने को कहने के लिए लिखा है।

उन्होंने कहा "यह सुनिश्चित करना स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चा स्कूल परिसरों में सुरक्षित है और यदि उनके परिसरों में बच्चों का यौन शोषण होता है तो इसका मुआवजा उन्हें देना पड़ेगा।"

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।